

का० ज्ञा० सं० 14034/34/97-रा०भा० (नी० स०), दिनांक 4.1.2002

विषय:— हिन्दीतर भाषा क्षेत्रों में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता के प्रयोग के लिए फार्म तथा उनकी सूचना के लिए लगाए जाने वाले नोटिस बोर्डों आदि को क्षेत्रीय भाषाओं में लिखना।

मुझे उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निर्देश हुआ है कि राजभाषा विभाग के दिनांक 25.3.68 के काँज्ञा सं० 7/9/65-रा०भा० (प्रति संलग्न) में हिन्दीतर भाषा क्षेत्रों में स्थित भारत सरकार के मंत्रालय/विभागों आदि द्वारा, प्रशासनिक अपेक्षाओं और जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जनता के इस्तेमाल में लाए जाने वाले फार्म जैसे मनीआईर फार्म आदि हिन्दी, अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा, यदि वह हिन्दी के अलावा हो, में मुदित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार राजभाषा विभाग के दिनांक 18.6.77 के काँज्ञा सं० L/14013/5/76-रा०भा० (क-1) (प्रति संलग्न) में हिन्दीतर गाज़ी में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले नोटिस बोर्डों आदि में क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी तथा अंग्रेजी के प्रयोग के निर्देश जारी किए गए हैं।

2. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे स्वयं उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा पूरे देश में फैले अपने सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और अपने नियंत्रणाधीन या स्वाभिलव वाले निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि द्वारा भी इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाएं।